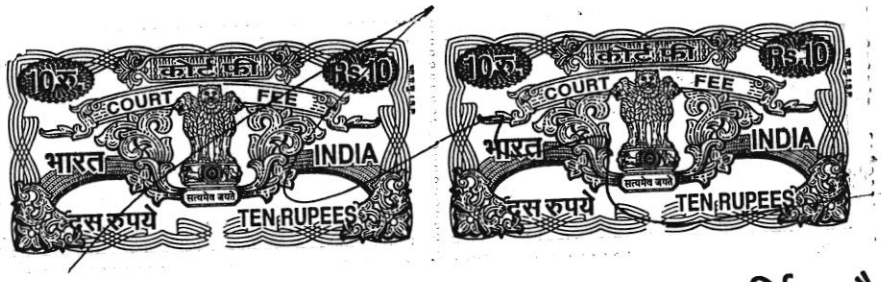

समक्ष माननीय सदस्य म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र. निगरानी– / /2017

श्रीमती पानबाई पुत्री स्व0 श्री माधोसिहं पत्नी श्री रूपसिहं
निवासी ग्राम चितोरिया तहसील विदिशा
जिला विदिशा म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय
जिला विदिशा म0प्र0 ....अनावेदक

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील विदिशा जिला विदिशा द्वारा उनके प्रकरण क 01/अ–1/16–17 में पारित आदेश दिनांक 28/03/17 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक ने अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम चितोरिया तहसील विदिशा जिला विदिशा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 604 रकबा 0.699 हैक्टयर भूमि पर आवेदक के पिता का जमींदारी के समय से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। तथा आवेदक के पिता द्वारा प्रश्नाधीन भूमि निरन्तर कृर्षि कार्य करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण किया जाता था । अपने पिता के स्वर्गवास के उपरान्त उक्त भूमि पर वर्तमान में आवेदक काविज होकर कृर्षि कार्य कर रही है । इसलिये उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा दर्ज किया जावे । अधिनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को उचित कार्यवाही हेतु तहसील न्यायालय को भेजा गया । परन्तु अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने प्रकरण नियमानुसार जाचं कार्यवाही किये विना ही अपना प्रतिवेदन अधिनस्थ न्यायालय को भेजा गया । अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन के आधार पर ही आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करते हुए विधि के प्रावधानो के विपरीत आवेदक के विरूद्ध अधिनियम की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश दिये

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक / निगरानी / विदिशा / भू.रा. / 2017 / 2807 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.12.2017	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 57 (2) के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन को अनुविभागीय अधिकारी ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है। संहिता की धारा 57 (2) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि संहिता की धारा 57 में 30 दिसम्बर, 2011 को किए गए संशोधन के फलस्वरूप इस धारा के अधीन विवाद के विनिश्चय का अधिकारी उपखण्ड अधिकारी के स्थान पर राज्य सरकार को है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का जो आदेश है वह क्षेत्राधिकार रहित है एवं राजस्व मण्डल को भी संहिता की धारा 57 (2) के तहत प्रकरण में सुनवाई का अधिकार नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है। अतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। आवेदक सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं। प्रशासकीय सदस्य	